न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।

उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

**********

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1946/2026

**UPST010057272026**

1. नीतेश कुमार सिंह उर्फ प्रान्सू सिंह पुत्र श्यामनरायन सिंह
2. विश्वजीत सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह

निवासीगण ग्राम अचलपुर, थाना जामों, जनपद अमेठी। .....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 40/2025,
अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं
3(2)(5क), 3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना जामों, जनपद अमेठी।

दिनांक 03.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नीतेश कुमार सिंह उर्फ प्रान्सू सिंह एवं विश्वजीत सिंह के द्वारा मुकदमा अपराध सं0 40/2025, अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 3(2)(5क), 3(1)(द), 3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना जामों, जनपद अमेठी में जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है। प्रार्थना पत्र, शपथपथ से समर्थित है।

2. अभियोजन का संक्षेप कथानक यह है कि दिनांक 01.03.2025 को प्रातः लगभग 08:30 बजे विपक्षीगण रामेन्द्र कुमार सिंह, प्रियांशु सिंह, विक्रम सिंह एवं विश्वजीत सिंह निवासीगण, स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP44 BF 5052 से लाठी, डंडा एवं कुल्हाड़ी लेकर वादी शिवकुमार पासी के घर आए और हरिजन होकर उनके यहां काम न करने की बात कहते हुए जातिसूचक गालियाँ दीं। विरोध करने पर विपक्षीगण ने वादी के साथ मारपीट की तथा बीच-बचाव करने आए वादी के पुत्र चन्द्रप्रकाश, पत्नी जानकी देवी, सुनील कुमार, मिथलेश एवं विधावती को भी मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे चन्द्रप्रकाश के सिर में गंभीर चोट आई तथा अन्य घायलों को भी चोटें आईं। शोर सुनकर लोगों के आने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, कथित अभियोग में रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी की तरफ से न्यायालय श्रीमान जी में प्रस्तुत यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत न तो न्यायालय श्रीमान जी में दिया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन ही है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त को किसी मुकदमें में सजा ही हुई है। वादी मुकदमा व चोटहिल के बयान में भी प्रार्थीगण को घटनास्थल के समय होने की बात नहीं बताया गया है। मात्र पार्टीबन्दी के कारण प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें में फर्जी अभियुक्त बनाया गया है। इन्हीं कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. वादी मुकदमा को नोटिस का तामिला प्राप्त है बहस के दौरान वादी मुकदमा न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

**6.** प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ नामित है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके परिवारीजन को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए, मारपीट कर कर चोटें पहुंचाने एवं जान माल की धमकी दिए जाने का अभियोग है। कथित घटना में 5 व्यक्तियों को चोटें आना कहा गया है। चोटहिल चन्द्र प्रकाश की चोटों को जेरे निगरानी रखते हुए सी0टी0 स्कैन हेतु संदर्भित किया है तथा शेष चोटहिल को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। चोटहिल चन्द्र प्रकाश के सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट में एन0ए0डी0 अंकित है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। सह–अभियुक्तगण रामेन्द्र कुमार सिंह एवं विक्रम सिंह की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। कथित घटना में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की भूमिका भी सहअभियुक्तगण के समान है। विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। गवाहों को डराये / धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नीतेश कुमार सिंह उर्फ प्रान्सू सिंह एवं विश्वजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/– रूपये की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता/35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

ह0
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

<u>दिनांक 03.07.2026</u>

(स्टेनो सुधीर सिंह)